



मराठा विश्वविद्यालय, बोधगाया

पत्रांक

दिनांक

निदेशक,
(शोध एवं प्रशिक्षण)
प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा विभाग,
नया सचिवालय, पटना - 800001

विषय: दो वर्षीय बी.एड पाठ्यक्रम का संबंधन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा) के क्षेत्रीय निदेशक के पत्रांक मि.र.२३५८८८१.१०.५१९४/५६६१
(Addl.:Course).२१.६.-५०३४०९०५२४५८..... दिनांक १३.१२.१६ के द्वारा
स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिष्ठात्री की दिनांक 06.07.2017 को आहूत बैठक के नद
संख्या ६४ पर पारित प्रस्ताव के आलोक में मार्दारी विश्वविद्यालय का अनुपालन किया जा रहा है
पुष्टि योग्यता नामकरण में दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र १५.१२.१४ से १५.०५.१५ सीढ़ों के साथ नामकरण की स्वीकृति इन
सीटी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है।

- प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के समुख लिये गये शपथ-पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा शपथ पूर्ण उल्लेख होना कि एन.सी.टी.
ई./राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/वचेजों का अनुपालन किया जा रहा है।
- एन.सी.टी.ई. के मार्दारी सिद्धांतों के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी अध्यार हस्तान एवं संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
- महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत सभी कार्नेंटों को प्रदान करना।
अधिष्ठात्री के द्वारा संबंधन की स्वीकृति औपचारिक होगी एवं उक्त संबंधन विहार राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के आधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की हैज़िगिक हथा प्रबंधन की गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा। उपर्युक्त जाँच के परिणामों से एन.सी.टी.ई.
राज्य सरकार एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी सूचित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि अधिष्ठात्र द्वारा पारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर इसकी सूचना देने की कृति दो जाय।

- अनुलग्नक:- 1. अधिष्ठात्र की बैठक का कार्यवृत।
2. नियोग प्रतिनिधि की नूलप्रति।
3. संबंधन की शर्त।

ज्ञापांक ६३८/१०२/१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित:-

- सचिव/प्रधानाधारी, मार्दारी विश्वविद्यालय का अनुपालन की स्वीकृति प्रदान करना पुष्टि योग्यता नामकरण
- सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
- परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, विहार सरकार, नया सचिवालय, पटना 800001
- प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
- विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा)।

६३८ का नाम
कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
25.08.17

Chandan
Chandan



मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

अधिसूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा) के क्षेत्रीय
निदेशक के पत्रांक E.R. २२५.६.२३/ERCAPR.५१९८/८/ED. (Addl. Govt.) २०१६
५०३४० का अधिसूचना

दिनांक ०३.०२.२०१६ के द्वारा स्वीकृत की गयी मान्यता के आलोक में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की अधिष्ठान की
दिनांक ०५.०७.२०१७ को आहूत बैठक के मद संख्या ८४ पर पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित ईडन २०२२ शुरू होना।
ट्रायल एक्स्प्रेस नं २०२२ ई-मैल सेवा पुलिश भूमि द्वारा वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में सत्र २०१८-१९ से शुरू।

सीटों के साथ नामांकन की स्वीकृति एन.सी.टी.ई. की मान्यता जारी रहने तक निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है:

- प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के सम्मुख लिये गये शपथ-पत्र पर महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उल्लेख होगा कि एन.सी.टी.ई./राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश/वन्देजों (संलग्न : अनुलग्न - I) का अनुपालन किया जा रहा है। इस संदर्भ में पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर अनुपालन करने की सुनिश्चितता को इनित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा विश्वविद्यालय विधि-सम्मत कार्रवाई प्रवृत्त कर देना।
- एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप महाविद्यालय प्रबंधन ने शिक्षकों की नियुक्ति की है एवं उनकी जारी संख्या एवं पैन संख्या अभिलेखित की जा चुकी है।
- महाविद्यालय प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित ई.पी.एफ. की सुविधा कॉलेज में कार्यरत स्तरीय कार्मियों को प्रदान करेगा।

अधिष्ठद के द्वारा संबंधित की स्वीकृति औपचार्यिक होगी एवं उक्त संबंधन विहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथापरिवर्तित) की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधानों के आधीन होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियमानुसार उच्च स्तरीय जाँच दल द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक तथा प्रवंधकीय गुणवत्ता की जाँच करायी जाती रहेगी, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधन पूर्ण सहयोग करेगा।

माननीय कुलसचिव सहदेव के अदेशानुसार

हो—

कुलसचिव

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

दिनांक २५/०८/१८

जापांक अप्र० १५/१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः—

- सचिव/प्रधानाचार्य, ईडन २०२२ शुरू होने वाले पुलिश भूमि द्वारा अधिसूचना
- सहायक कुलसचिव, पंजीयन शाखा, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
- परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, विहार सरकार, नया सचिवालय, पटना ८००००१
- प्रभारी शाखा कार्यालय, राजेन्द्र नगर, पटना।
- विशेष कार्य अधिकारी (विश्वविद्यालय), राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्व क्षेत्रीय समिति 15 नीलकंठ नगर, नयापल्ली, भुवनेश्वर (उडीसा)।

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

अधिसूचना

Necessary condition for grant of affiliation

The affiliated Colleges, including the B.Ed. Colleges would be required to adhere with the following conditions :

1. Aadhar linked biometric Attendance of teachers, employees and students and the attendance printout to be submitted to the Inspector of Colleges every month or on inspection. The Biometric system shall be installed by the University as per the laid down specifications and shall be connected with the central server. Cost of installation would be met by the concerned institutions.
2. All payments and receipts be made cashless. Financial transactions would only be allowed through bank/payment gateways. No additional charges of any kind be levied except for the fee which will be deposited by RTGS/NEFT.
3. CCTV camera in all classes and offices with mobile app be installed.
4. Submission of Aadhar Card and Bank Account no. of all teachers and employees and students.
5. Name, Father's name, Aadhar no. of all the members of managing committee and/ or trustees or the promoters would be necessarily provided. All private affiliated B.Ed. Colleges must get the NAAC/QCI ranking/evaluation within six months of the grant of affiliation as per the norms laid down by the N.C.T.E.
6. Colleges will comply with the direction of regulators and the affiliating university issued from time to time,
7. All colleges must open Employees Provident Fund Account (EPF) as directed by the Govt. of India through E.P.F. Commissioner.
8. They must file the affidavit from 1st class Magistrate regarding timely compliance of all directions.
9. Teachers Training Colleges will have to submit Self-Appraisal Report after end of each session which is mandatory by NCTE.


Registrar 25.08.17

Magadh University, BodhGaya

~~Approved
25/8/17~~